West Bengal Form No.27

# FIRST INFORMATION REPORT 1309

(Under Section 154 Cr. P.C.)

1. Dist. SPC P.S. Matigara Year 2022 FIR No. 759/22 Date 05:07:2022
2. (i) Act IPC Sections 447/34 (ii) Act x Sections x
   (iii) Act x Sections x (iv) Other Acts & Sections x
3. [a] Occurrence of Offence : Day ........ Date From 05:07:2022 Date To ........
   Time Period ........ Time From 03:00 hrs Time To ........
   [b] Information received at P.S. Date 05:07:2022 Time 20:05 hrs
   [c] General Diary Reference : Entry No. (s) 269 Time 20:05 hrs
4. Type of Information : ........ Written / Oral : ........
5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distance from P.S. ........ Beat No. ........
   [b] Address Group Centre, CRPF, Kawakhali, Ps- Matigara, Dist- Darjeeling.

   [c] In case outside limit of this Police Station, then the
   Name of the P.S. x District x
6. Complainant / Informant :
   [a] Name Shri Wakar Ahamed
   [B] Father's / Husband's Name ........
   [c] Date / Year of Birth ........ [d] Nationality Indian
   [e] Passport No. ........ Date of Issue ........ Place of Issue ........
   [f] Occupation Deputy Commandant, CRPF
   [g] Address Group Centre, CRPF, Kawakhali, Ps- Matigara, Dist- Darjeeling
7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars
   (Attach separate sheet, if necessary) :
   Khaliku Haque, s/o- Nazamuddin Haque of Berubari, Salbari, PO- Kuri Para, PS- Kotwali, Dist- Jalpaiguri and others.
8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Information
9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet, if necessary)
10. Total value of properties stolen / involved ........
11. Inquest Report / U.D. Case No. If any ........
12. FIR Contents (Attach separate sheets, if required) The original written complaint which is treated as FIR is reproduced overleaf.

    Sd/- 05/07/2022
13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) as mentioned at item No.2, registered the case and ~~took up the investigation~~ / directed ASI- Anupam Roy to take up investigation / ~~refuse investigation~~ / ~~transfered to P.S.~~ ........ ~~on point of jurisdiction~~. FIR read over to the Complaint /Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.

    Sd/- 05/07/2022
14. Signature / Thumb impression of the Complainant / Informant
    Noted on original complaint

    Signature of the Officer-in-Charge, Police Station

Date & Time of despatch to the court

Name Bipul Talukdar
Rank SI of Police No MTG PS/SPC

कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक,
ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
कावाखली, पोस्ट सुश्रुतनगर,
सिलिगुड़ी, जिला दार्जिलिंग,
पश्चिम बंगाल-734012

Office of the Dy. Insp Genl of Police,
Group Centre, Central Reserve Police Force,
Ministry of Home, Govt. of India,
Kawakhali, PO Sushruta Nagar,
Siliguri, Distt Darjeeling,
West Bengal-734012

फोन / फैक्स / Phone/fax:0353 2970516, ई मेल/e-mail: gcslg@crpf.gov.in

एम0पॉच-1/2022-प्रशा0 दिनांक- 05/07/2022

Received on 05.07.2022 at 20.06 hrs vide GDE NO. 269 dt. 05.07.2022 and recorded MTG PS Case No- 759/2022 dt. 05.07.2022, u/s 447/34 IPC and endorsed to ASI Anupam Roy for its investigation.
05/07/2022

सेवा में,

प्रभारी अधिकरी,
एन0बी0एम0सी0एच0, ओ0पी0
पो0सुश्रुतानगर, जिला-दार्जलिंग।

**विषय : कैंप परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के संबंध में।**

विषयांतर्गत लेख है कि आज दिनांक 05/07/2022 को सुबह लगभग 0300 बजे टिकनीकाटा गॉव की तरफ से कैम्प की पश्चिमी ओर से दीवार फांदकर एक अज्ञात व्यक्ति कैम्प में प्रवेश किया। जिसे कैम्प की सूरक्षा में तैनात रात्री पेट्रौलिंग प्रहरी द्वारा पकड़ा गया। तत्पश्चात उससे पूछ-ताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया/बयान दिया गया कि " उसका नाम-खालिकूल हक, पिता-निजामुद्दिन हक, ग्राम-बेराबाड़ी, सालबाड़ी, पो0-कुड़ीपाडा, थाना-कोतवाली, जिला-जलपाईगुड़ी का निवासी है। वह फूलबाड़ी के एक बिस्कूट फैक्ट्री में लेबर का काम करता है"।

02. जब उससे कैम्प में अनाधिकृत रूप से प्रवेश का कारण/उसका मन्शा पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि" रात्री को टिकनीकाटा गॉव से गुजरते समय वहॉं के निवासी उसे चोर समझकर खदेड़ने लगे जिससे वह कोई सुरक्षित स्थान न पाकर कैम्प का दीवार फांदकर कैम्प में प्रवेश कर गया। इस घटनाक्रम में उसके साथ उसके दो-तीन साथी भी थें जो उसका साथ छोड़कर भाग गए, इससे यह प्रतीत होता है कि उसके साथियों द्वारा ही उसे कैम्प में प्रवेश करने में सहयोग किया गया है।

03. पूरे घटनाकम में वह किस उद्देश्य से कैम्प में प्रवेश किया था नहीं बता रहा है और ना ही अपने साथी का नाम बता रहा है। उक्त व्यक्ति पूछ-ताछ में पूर्ण सहयोग नहीं दे रहा है और हर बार आपना बयान बदलता है। उक्त व्यक्ति द्वारा जहॉं से कैम्प प्रवेश किया गया वह दीवार लगभग 12 फिट उँची होने के साथ-साथ लगभग 3 फिट उचाई तक कंटिले तारो द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहॉं से किसी भी व्यक्ति द्वारा इस उँचाई को आसानी से पार करना संभव नहीं है। अतः उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य एवं दिया गया बयान संदेहास्पद है एवं उसके द्वारा दिया गया बयान निराधार व अनुचित प्रतीत होता है। जो व्यक्ति के.रि.पु.बल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद 15 फिट उँची दीवार व कंटिले तार को पार कर कैम्प में प्रवेश किया है वह संभवतः किसी असमाजिक संगठन से मिला हो सकता है।

Received on 05.07.2022 vide NBMC OP GDE No. 124 dtd. 5.7.22 at 16.45 hrs & forwarded to O/C, Matigara PS to start a specific case under proper section of law.
05.07.2022

04. अतः उपरोक्त संदिग्ध व्यक्ति नाम-खालिकूल हक, पिता-निजामुद्दिन हक को इस आशय के साथ आपको सुपुर्द किया जाता है कि उससे सख्त पूछ-ताछ किया जाए एवं मामले की जड़ तक पहुचकर उचित एवं कानुनी कार्रवाई किया जाये। कार्यवाही पूर्ण कर मामले की अंतिम रिपोर्ट से यथाशीघ्र इस कार्यालय को अवगत कराऍं।

O/O THE DIGP, CRPF, GC SILIGURI (W.B.)

05/7/22
(वकार अहमद) उप कमाण्डेन्ट
कृते, पुलिस उप महानिरीक्षक,
ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, सिलीगुड़ी।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
1. पुलिस अधीक्षक, जिला दार्जिलिंग यथास्थान।
2. प्रभारी अधिकारी, पुलिस थाना, माटीगाड़ा।